न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 52/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 जोईता पुत्र प्रभाजी		1 गेना पुत्र तगाजी
2 त्रिकमा पुत्र प्रभाजी के का0मु0		2 रूडा पुत्र तगाजी
2.1 मफाराम पुत्र त्रिकमा		3 धर्मी पत्नी रूडाजी
2.2 सांकलाराम पुत्र त्रिकमा		4 कालूराम पुत्र घुनाराम
2.3 मोहनराम पुत्र त्रिकमा		5 सरूपाराम पुत्र घुनाराम जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण फतापुरा तहसील रानीवाडा, जिला जालोर
2.4 वचनाराम पुत्र त्रिकमा		
2.5 रमेश कुमार पुत्र त्रिकमा		
3 छगना पुत्र पीराजी जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण फतापुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 8.6.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2010 जोईता बनाम गेना वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा पैरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर करने बाबत तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट किए, इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अन्य अधिवक्ता को नियुक्त कर प्रकरण में पैरवी करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत होते हुए भी वादीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

करते हुए तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही जैर रेस्पोडेन्ट के बताए अनुसार जैर अपील डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रक्रिया अनुसार तनकीयात को विनिश्चित किए बिना ही बिना किसी सहमति के लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा प्रकरण में जवाबदावा आदि प्रस्तुत होने के पश्चात तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा गया, जिसके विधिवत नोटिस जारी किए, जो पक्षकारान् से तामील हुए है। बावजूद तामील के प्रकरण को लम्बा करने की गरज से अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नही हुए। चूंकि प्रकरण विशुद्ध रूप से विभाजन का ही था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई एवं उक्त मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसका अपीलाण्ट्स द्वारा विभाजन एवं स्थाई व्यादेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि उक्त निर्णय एवं डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प मालवाडा में वादीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। इस तथ्य का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से मिलान करने पर स्थिति यह प्रकट होती है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली शहादत वादी में नियत होने तथा वादी पक्ष की ओर से अपने मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत कर वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई तथा प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है, यह अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रक्रिया से पूर्व वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये थे, इसके बावजूद वादीगण द्वारा प्रकरण को लम्बा करने की गरज से देरीना शपथ पत्र प्रस्तुत किए। प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करने पर अपीलाण्ट लोक अदालत में उपस्थित थे, जिसकी ताईद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से होती है, जिसमें वादीगण की उपस्थिति अंकित है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-बालोतरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इसी दिनांक को तहसीलदार को मौका एवं रेकर्ड, कब्जे अनुरूप जांच कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह मजमें आम में तैयार की गई है, जिस पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर है, साथ ही इसमें यह भी अंकित किया गया है कि अपीलाण्ट/वादीगण मौके पर उपस्थित थे, जिन्होने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया तथा चले गए। प्रकरण में विभाजन से सम्बन्धित था, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 की क्रियान्विति हेतु राजस्व काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक था। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में उल्लंघन नही किया गया है तथा जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः पालना की गई है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई विशेष कारण प्रतीत नही होता है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया हो। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिये गये है, उनके सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नही होता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अनुचित ठहराया जा सके। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील सारहीन पाँई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2010 जोईता बनाम गेना वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर